



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर
अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 किलो 13 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर (हेरोइन)
बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम एवं नशे के कारोबार में लिस अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.04.2025 को मुख्यमंत्री की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त सागर पुत्र राकेश निवासी बाईखेड़ी थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को मोल्हू की कोठी से रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पर खाली पड़े खण्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे **01 किलो 13 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर (हेरोइन पाउडर-हल्के गुलाबी रंग), 820/- रुपये नकद, 01 मोबाइल फोन सैमसंग (की पैड) व एक काले रंग का बैग (जिसमें मोबाइल का चार्जर)** बरामद। गिरफ्तारी व बरामदी के आधार पर अभियुक्त सागर उपरोक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर **मु030सं0 154/2025 धारा 8/21/29 NDPS ACT** के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा किये जा रहे नशे के कारोबार के फार्वर्ड व बैकवर्ड लिंकों की भी जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मात्र 0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त सागर उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ व मजदूरी का कार्य करता हूँ मुझे अक्सर पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। मैं नशा करने का आदि भी हूँ पैसों की कमी को पूरा करने के लिये मैं नशे के कारोबार में पड़ गया था क्योंकि उसमें मुझे अधिक मुनाफा हो जाता था। दिनांक 08.04.2025 को मैंने किसी व्यक्ति से नशीला पाउडर खरीदा था जिसका नाम पता मैं नहीं जानता हूँ। दिनांक 9/10.04.2025 की रात्रि को मैं नशीले पाउडर अपने साथ लेकर सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास कहीं छुपाने जा रहा था की तभी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सागर पुत्र राकेश निवासी बाईखेड़ी थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदी का विवरण-

- 01 किलो 13 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर (हेरोइन पाउडर- हल्के गुलाबी रंग)
- 820 रुपये नकद
- 01 मोबाइल सैमसंग की पैड
- 01 काले रंग का बैग (जिसमें मोबाइल का चार्जर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम चौकी प्रभारी काशीराम बस अडडा सदर बाजार जिला सहारनपुर।

3. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री रविन्द्र थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 714 नितिन कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
6. है0का0 67 कुलदेव थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
7. है0का0 850 सचिन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
8. है0का0 811 प्रवीण थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
9. का0 1837 सचिन सदर बाजार जिला सहारनपुर।



दिनांक: 10.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा हुक्का बार का भंडाफोड़ करते हुए 01 हुक्का बार संचालक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06 हुक्के पोर्ट सहित, 06 पाइप, 06 चिलम, 02 चिमटे, 06 लोहे की जाली/कोयला व 08 डब्बे तम्बाकू व 160/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व अवैध रूप से हुक्का बार चलाने वाले व हुक्के के कारोबार में लिस अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान हुक्का बार का भंडाफोड़ करते हुए 01 हुक्का बार संचालक अभियुक्त सुहैल पुत्र शहनवाज निवासी छत्ता जम्बूदास निकट चण्डीगढ़ पैलेस थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को बाईट मी बिस्ट्रो कैफे थाना क्षेत्र मण्डी से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे कब्जे से 06 हुक्के पोर्ट सहित, 06 पाइप, 06 चिलम, 02 चिमटे, 06 लोहे की जाली/कोयला, 08 डब्बे तम्बाकू व 160/- रुपये नकद बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त सुहैल उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 150/25 धारा 280/271/270 बी.एन.एस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त सुहैल उपरोक्त ने बताया कि मैं हुक्का बार बाईट मी बिस्ट्रो कैफे का संचालन करता हूँ, मैं ही इसका मालिक हूँ और स्कूल/कालेज में पढ़ने-लिखने वाले कम उम्र के बच्चों/लड़कों को फ्लेवर वाला हुक्का पिलाने का काम करता हूँ जिससे मुझे अच्छी खासी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. सुहैल पुत्र शहनवाज निवासी छत्ता जम्बूदास निकट चण्डीगढ़ पैलेस थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सुहैल का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 79/23 धारा 269 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
- मु0अ0सं0472/24 धारा 270,271,280 बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 श्री अमित प्रसाद थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
- है0का0 157 सन्दीप उज्जवल थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
- का0 2318 सौरभ कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10-04-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नागल श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.04.2025 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्त वारण्टी 1. सचिन उर्फ सुचित पुत्र रणजीत, 2. महावीर उर्फ छोटा पुत्र रतिराम निवासीगण ग्राम खजूरवाला थाना नागल जिला सहारनपुर हाल पता भाटखेड़ी थाना नागल जिला सहारनपुर सम्बन्धित बाद सं 1026/2021 मु0अ0सं0 329/2020 धारा 323/352/427/506 भा0द0वि0 सम्बन्धित माननीय न्यायालय सिविल जज (जू0ड़ि) / न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द सहारनपुर, 3. इमरान पुत्र सीधा निवासी ग्राम पाण्डौली रोड़ थाना नागल सहारनपुर सम्बन्धित बाद सं0-719/13 मु0अ0सं0 69/13 धारा 279/304 भा0द0वि0 व संबंधित न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0 01, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- सचिन उर्फ सुचित पुत्र रणजीत निवासी खजूरवाला थाना नांगल जिला सहारनपुर।
- महावीर उर्फ छोटा पुत्र रतिराम निवासी खजूरवाला थाना नांगल जिला सहारनपुर।
- इमरान पुत्र सीधा निवासी ग्राम पाण्डौली रोड़ थाना नागल सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
- उ0नि0 श्री वीरबल सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर।
- उ0नि0 श्री राजाराम सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर।
- का0 2448 मुशाहिद अली थाना नांगल जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे में वांछित 01

हिस्ट्रीशीटर शातिर चोर/लुटेरा गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस

.315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 25.03.2025 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोरों को चोरी की मोटर साइकिल सहित के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0आ0सं0-83/25 धारा 317(5)/336 बीएनएस बनाम 1. दीक्षित पुत्र सुरेन्द्र निवासी मोहल्ला पारस विहार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर 2. विनोद कुमार उर्फ जोनी पुत्र राजपाल निवासी मौ0 कृष्णा कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर 3. अर्जुन पुत्र सतपाल निवासी ग्राम ईस्माइलपुर थाना कुतुबशेर सहारनपुर पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गण दीक्षित व विनोद कुमार उर्फ जोनी उपरोक्त से थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत मु0आ0सं0 61/2025 धारा 303(2) बीएनएस में चोरी गयी मोटर साइकिल बरामद हुई थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, मोटरसाइकिल/वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें शामिल वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0 एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.04.2025 को मुख्यमंत्री की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अर्जुन पुत्र सतपाल निवासी ग्राम ईस्माइलपुर थाना कुतुबशेर, सहारनपुर को लेबर कालोनी से मानकमऊ की तरफ आने वाले रास्ते पर बन्द पड़े शुगर मिल के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0आ0सं0 100/2025 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्मस एक्ट व एनडीपीएस एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में 29 मुकदमें दर्ज हैं व थाना कुतुबशेर का हिस्ट्रीशीटर भी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त ने बताया कि मैंने अपने अन्य साथियों दीक्षित व विनोद उर्फ जोनी के साथ मिलकर हरियाणा व उत्तराखण्ड राज्य से वाहन चोरी का कार्य करता हूँ। मेरे दोनों साथियों को पुलिस ने पूर्व में ही पकड़ लिया था तथा जो मोटर साइकिल हमने चोरी की थी वह भी पुलिस ने मेरे साथियों से बरामद कर ली थी। दिनांक 09/10.04.2025 की रात्रि को भी मैं चोरी करने की फिराक में लेबर कालोनी से मानकमऊ की तरफ आने वाले रास्ते पर बन्द पड़े शुगर मिल के पास गया था कि तभी अचानक पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। पुलिस ने मेरे पास से जो तमंचा व कारतूस बरामद किये हैं उसे मैं चोरी करते समय लोगों को डराने व धमकाने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

➤ अर्जुन पुत्र सतपाल निवासी ग्राम इस्माईलपुर थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 अवैध तमंचा/ 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 61/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 83/25 धारा 317(5)/336 बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 132/22 धारा 392/411 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 135/22 धारा 392/411 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 138/22 धारा 307 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 150/20 धारा 60/62 आबकारी अधि0 व 272/273 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 194/16 धारा 392/411 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0 252/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
9. मु0अ0सं0 265/16 धारा 120बी/392/411 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
10. मु0अ0सं0 284/16 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
11. मु0अ0सं0 123/22 धारा 394/411 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 132/2022 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 133/2022 धारा 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
14. मु0अ0सं0180/19 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
15. मु0अ0सं0 319/18 धारा 392/411 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
16. मु0अ0सं0 337/18 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
17. मु0अ0सं0 367/18 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
18. मु0अ0सं0 740/21 धारा 392/411 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
19. मु0अ0सं0 118/22 धारा 307/394 भादवि थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
20. मु0अ0सं0 96/17 धारा 380/411/457 भादवि ननौता जनपद सहारनपुर।
21. मु0अ0सं0 100/17 धारा 307 भादवि ननौता जनपद सहारनपुर।
22. मु0अ0सं0 102/17 धारा 4/25 आर्मस एक्ट ननौता जनपद सहारनपुर।
23. मु0अ0सं0 103/17 धारा 10 गुंडा अधि0 ननौता जनपद सहारनपुर।
24. मु0अ0सं0 120/22 धारा 392/411 भादवि थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।
25. मु0अ0सं0 452/18 धारा 392/411 भादवि थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।
26. मु0अ0सं0 136/21 धारा 307/398/401 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
27. मु0अ0सं0 637/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर,
28. मु0अ0सं0 344/18 धारा 392/411/420/467/468/471 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

29. मु0अ0सं0 100/25 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम कुतुबशेर, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच०एन० सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री उ०नि० यमुना प्रसाद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. उ०नि० श्री जयवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है०का० 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. है०का० 840 अनुज आर्य थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. का० 1215 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, पुलिस द्वारा हत्या के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

अवगत कराना है कि दिनांक 06.04.2025 को वादी सजंय पुत्र श्री जय प्रकाश निवासि ग्राम सूजडू थाना खालापार जिला मुजफ्फरनगर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. रोबिन उर्फ आकाश पुत्र दिनेश 2. दिनेश पुत्र नामालूम 3. केला पत्नि दिनेश निवासीगण ग्राम अकबरपुर गढ़ी थाना देवबन्द सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को जहर देकर मार देने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0- 174/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बीनू चौधरी थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रोबिन उर्फ आकाश पुत्र दिनेश निवासी ग्राम अकबरपुर गढ़ी थाना देवबन्द सहारनपुर को ग्राम अकबरपुर गढ़ी में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मेरी शादी करीब 06 साल पहले राची से हुई थी। शादी के बाद हमारे एक बेटा हुआ था। लेकिन मेरी पत्नी का हमेशा मेरे परिवार वालों के साथ झगड़ा होता रहता था। दिनांक 30.03.2025 को मेरा व मेरे पिता व माता जी का किसी बात को लेकर मेरी पत्नी से काफी झगड़ा हो गया था। जिसके बाद हम तीनों ने क्रोधित होकर जबरदस्ती मेरी पत्नी को घर पर रखी चूहे मारने की दवाई खिला दी थी। जब उसकी तबियत खराब होने लगी तो मैं उसे लेकर मुजफ्फरनगर बेगराजपुर मेडिकल कालेज लेकर गया था जहाँ डाक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। जिस कारण मैं घबरा गया और पुलिस से बचने के लिये वहाँ से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रोबिन उर्फ आकाश पुत्र दिनेश निवासी ग्राम अकबरपुर गढ़ी थाना देवबन्द सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक बीनू सिंह थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1031 श्रीकान्त भाटी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. है0का0157 जितेन्द्र कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 561 शमीम अहमद थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
5. का0 2107 रवि राठी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

